FORM - 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 153-UDAIPUR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Tarachand Jain

(Name)

671, Mahaveer Vidhya Mandir School Ke Samne Sector No. 13, Udaipur

(Address)

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:

UDAIPUR

Date:

03-Dec-2023



(Rajeev Dwivedi)
Returning Officer
153-Udaipur Constituency
Additional District Magistrate (City) Udaipur

रिटर्निंग ऑफिसर विधानसमा क्षेत्र 153-उदयपुर (अति, जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयपुर

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 153-उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री ताराचन्द जैन

(नाम)

671, महावीर विद्या मंदिर स्कूल के सामने सेक्टर नं.13, उदयपुर (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:

उदयपुर

दिनांक:

03 दिसम्बर 2023



(राजीव द्विवेदी) रिटर्निंग ऑफिसर 153-उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), उदयपुर

रिटर्निंग ऑफिसर 153-उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (अतिरियत जिला मजिरट्रेट (नगर) उदयपुर